राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 2061/2010/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–चतुर्थ,निम्बाहेडा — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स नाहर इण्टरनेशनल लिमिटेड
भिवाडी — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.10.2015

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ,निम्बाहेडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स)अलवर–II, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 148/आरएसटी/2001–02/उपा/अपील्स/अल–II/भिवाडी में पारित आदेश दिनांक 15.03.2010 के विरूद्व प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू.1,26,630/– को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 23.03.2001 को माण्डल–शाहपुरा चौराहा, भीलवाडा पर वाहन संख्या एचआर–47/8760 को चेक करने पर पाया गया कि उसमें 'रिजेक्टेड यार्न एवं प्लास्टिक बोबन्स' कलदा पाया गया,जिसका बैंगलौर से भिवाडी के परिवहन किया जा रहा था। परिवहनित माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने मैसर्स नाहर इण्टरनेशनल लिमिटैड,भिवाडी का बिल नम्बर 20280 दिनांक 14.03.2001 प्रस्तुत किया,जिसमें माल की किस्म टायर कार्ड यार्न 2/2/14 लोट नम्बर यू 5001, 135 नग वर्णित है। जांच कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार वापिस रिजेक्टेड माल के रूप में काटन यार्न भेजा जाना पाया गया है । उक्त वस्तु अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में आने से उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र एसटी–18ए साथ में होना आज्ञापक है, जो परिवहन के समय नही पाया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53(1)(ए)(III) का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया । नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के एकाउण्ट्स, एक्जीक्यूटिव श्री राकेश विशिष्ट उपस्थित हुए,जिनकी मौजूदगी में भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर 13 बोरों में लूज यार्न

पाये गये जिन पर कोई लोट नम्बर अंकित नहीं था इसके अलावा कुछ बोरों में वर्धमान पोलिटेक,भटिण्डा का नाम अंकित पाया गया तथा सभी बोरे पुराने बारदाने के हैं,जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह माल मैसर्स अरहम स्पिनिंग मिल्स,भिवाडी के बिल नम्बर 202803 दिनांक 14.03.2001 को भेजे गये माल का रिजेक्टेड माल है अर्थात् जो माल जो माल पाया गया है वह माल उक्त बिल से भिन्न माल है,जिससे की गई घोषणा मिथ्या प्रमाणित होती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया कि बैंगलोर का व्यवसायी उनका नियमित ग्राहक है जिसे नियमित माल भेजा जाता है तथा क्रेता व्यवहारी के प्रतिमानों के अनुसार जो माल नहीं पाया गया उसे बाद में कुछ नई पैकिंग में भेजा जाना जाहिर किया तथा साथ ही घोषणापत्र एस टी 18ए की आवश्यकता के बारे में उन्हें जानकारी नही होना जाहिर किया और साथ में घोषणा पत्र एस टी 18ए नम्बर 57974/8 एवं खाते की छाया प्रतियॉ भी पेश की । कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53(1)(ए)(।।।) का उल्लंघन तथा कर चोरी की दोषी मानसिकता मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,26,630/–आरोपित कर दी। उक्त आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2010 पारित किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2010 से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2001 को वाहन की जांच पर वाहन में लदे माल के साथ वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र एस टी 18ए नहीं होने से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर, जवाब के साथ एस टी 18ए प्रस्तुत किया गया। उनका कथन है कि प्रस्तुत जवाब के पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी के एकाउण्ट्स, एक्जीक्यूटिव श्री राकेश विशिष्ट उपस्थित हुए,जिनकी मौजूदगी में भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर 13 बोरों में लूज यार्न पाये गये जिन पर कोई लोट नम्बर अंकित नहीं था इसके अलावा कुछ बोरों में वर्धमान पोलिटेक,भटिण्डा का नाम अंकित पाया गया तथा सभी बोरे पुराने बारदाने के हैं,जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह माल मैसर्स अरहम स्पिनिंग मिल्स,भिवाडी के बिल नम्बर 202803 दिनांक 14.03.2001 को भेजे गये माल का रिजेक्टेड माल है अर्थात् जो माल जो माल पाया गया है वह माल उक्त बिल से भिन्न माल है,जिससे की गई घोषणा मिथ्या प्रमाणित होती है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने कर

चोरी की मंशा से माल का परिवहन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53(1)(ए)(।।।) का उल्लंघन तथा कर चोरी की दोषी मानसिकता मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,26,630/–आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग पाया गया माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आने से उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र एस टी 18ए साथ में होना आज्ञापक है,जिसके नही होने के कारण आरोपित शास्ति उचित है किन्तु अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो अधिनियम के प्रावधानें के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाये। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करंने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी फर्म भिवाडी में पंजीकृत है तथा मैसर्स आहूजा कॉन्टीनेन्टल लिमिटेड, बैंगलौर उसका नियमित ग्राहक है। उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए संलग्न करने की आवश्यकता नहीं थी और कर निर्धारण अधिकारी ने उसके अभाव में अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53(1)(ए)(।।।) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए नम्बर 57974/8 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में न्यायिक दृष्टान्ता का हवाला देते हुए एवं अधिनियम की धारा 76 (6) के प्रावधान को उद्धरित करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जिसमें किसी में की कोई अविधिकता नही है। उन्होंने उक्त कथन के अतिरिक्त के उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए अभिवाक् किया कि उक्त दोनों निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं।

उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि माण्डल–शाहपुरा चौराहा, भीलवाडा पर वाहन संख्या एचआर–47 / 8760 को चेक करने पर पाया गया कि उसमें 'रिजेक्टेड यार्न एवं प्लास्टिक बोबन्स' कलदा पाया गया,जिसका बैंगलौर से भिवाडी के परिवहन किया जा रहा था। परिवहनित माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक / माल प्रभारी ने मैसर्स नाहर इण्टरनेशनल लिमिटैड,भिवाडी का बिल नम्बर 20280 दिनांक 14.03.2001 प्रस्तुत किया,जिसमें माल की किस्म टायर कार्ड यार्न 2 / 2 / 14 लोट नम्बर यू 5001, 135 नग वर्णित है। जांच कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार वापिस रिजेक्टेड माल के रूप में काटन यार्न भेजा जाना पाया गया है । उक्त वस्तु अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में आने से उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र एस टी–18ए साथ में होना आज्ञापक है, जो परिवहन के समय नही पाया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53(1)(ए)(।।।) का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया । नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के एकाउण्ट्स, एक्जीक्यूटिव श्री राकेश विशिष्ट उपस्थित हुए,जिनकी मौजूदगी में भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर 13 बोरों में लूज यार्न पाये गये जिन पर कोई लोट नम्बर अंकित नहीं था इसके अलावा कुछ बोरों में वर्धमान पोलिटेक,भटिण्डा का नाम अंकित पाया गया तथा सभी बोरे पुराने बारदाने के हैं,जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह माल मैसर्स अरहम स्पिनिंग मिल्स,भिवाडी के बिल नम्बर 202803 दिनांक 14.03.2001 को भेजे गये माल का रिजेक्टेड माल है अर्थात् जो माल जो माल पाया गया है वह माल उक्त बिल से भिन्न माल है,जिससे की गई घोषणा मिथ्या प्रमाणित होती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया कि बैंगलोर का व्यवसायी उनका नियमित ग्राहक है जिसे नियमित माल भेजा जाता है तथा क्रेता व्यवहारी के प्रतिमानों के अनुसार जो माल नहीं पाया गया उसे बाद में कुछ नई पैकिंग में भेजा जाना जाहिर किया तथा साथ ही घोषणापत्र एस टी 18ए की आवश्यकता के बारे में उन्हें जानकारी नही होना जाहिर किया और साथ में घोषणा पत्र एस टी 18ए नम्बर 57974 / 8 एवं खाते की छाया प्रतियॉं भी पेश की । परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे बाद की सोच मानते हुए अमान्य करके अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,26,630 / – / –आरोपित की है,जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2010 पारित कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया जाना समीचीन होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश

दिनांक 15.03.2010 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य